अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में दिनांक 25.03.2020 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय

1. अत्यावश्यक वस्तुओं से संबंधित सभी दुकानदारों एवं उनके कार्मिकों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। (कार्यवाहीः समस्त जिला कलक्टर)
2. ऑनलाईन पास सिस्टम के लिए सूचना प्रोद्योगिकी विभाग एक एप तैयार करें। (कार्यवाहीः आयुक्त, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग)
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ऑनलाईन कम्पनीज जैसे Flipkart, अमेजन, ग्रोफर्स, बीग बास्केट, डील शेयर, उडान आदि से चर्चा करेंगे operate करने में क्या कठिनाईयां आ रही है। (कार्यवाहीः अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग)
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग बिग बाजार, रिलायन्स फ्रेश आदि से बात कर होम डिलीवरी सिस्टम भी लागू करावें। (कार्यवाहीः अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग)
5. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग फसल कटाई के संबंध में दिशा–निर्देश जारी कर अपने नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित करे। कृषि विभाग दिशा–निर्देशों को पंचायती राज विभाग तथा गृह विभाग से भी शेयर करें ताकि पंचायती राज विभाग, पंचायती राज संस्थाओं/प्रतिनिधियों तथा गृह विभाग प्रसारित कर सके। (कार्यवाहीः प्रमुख शासन सचिव, कृषि)
6. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास तथा प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा अन्तर्राज्यीय सीमाओं से आने वाले व्यक्तियों के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार कर गृह विभाग से जारी करवाये। (कार्यवाहीः प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा)
7. लॉकडाउन के दौरान पास जारी करने के लिए निम्न विभाग अधिकृत होंगेः–

विभाग		किसको पास जारी करेंगे
परिवहन विभाग	–	ट्रांसपोर्टर्स
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	–	पी.डी.एस.
उद्योग विभाग एवं रीको	–	आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न उद्योग

स्थानीय निकाय विभाग	–	किराना स्टोर, अन्य आवश्यक सामग्री से संबंधित दुकान, मेडिकल स्टोर, फल एवं सब्जी विक्रेता
कृषि विपणन बोर्ड/विभाग	–	थोक मंडी विक्रेता

8. शहरी निकाय अत्यावश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानों पर चूने से मार्किंग करे ताकि ग्राहकों के बीच समुचित दूरी (social distancing) रहे। (कार्यवाहीः शासन सचिव, एल. एस.जी.)
9. शासन सचिव, श्रम विभाग संबंधित सचिवों से समन्वय कर यह अवगत करायेंगे कि पास जारी करने के लिए किस विभाग में कौन अधिकृत होगा। (कार्यवाहीः शासन सचिव, श्रम विभाग)
10. उद्योग विभाग एवं रीको के कार्यालय अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल किया जावे।
11. जयपुर को 1.00 करोड़ रुपये, अन्य संभागीय जिला मुख्यालयों को 75–75 लाख रुपये तथा शेष जिलों को 50–50 लाख रुपये अनटाईड फंड के रूप में हस्तान्तरित किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त 1000/– रुपये प्रति वंचित परिवार के हिसाब से कुल 180 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की जा रही है। (कार्यवाहीः शासन सचिव, श्रम विभाग)
12. सूचना प्रोद्योगिकी विभाग एक एप तैयार करें जिससे कि BLOs इसमें ऑनलाईन फीड कर सकें। (कार्यवाहीः आयुक्त, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग)
13. शासन सचिव, एल.एस.जी. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानदारों को होम डिलीवरी की अनुमति दे।
14. होम डिलीवरी के लिए प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग; ऑन लाईन डिलीवरी के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा मोबाईल वेन के लिए प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता दिशा–निर्देश तैयार करेंगे।
15. ऑनलाईन सप्लाई हेतु प्रबंध निदेशक, रीको सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के साथ एक एप तैयार करेंगे जिसमें प्राइवेट पार्टनर्स भी जोडे जायेंगे। (कार्यवाहीः प्रबंध निदेशक, रीको)